टरेस्ट की छूट से 75% को मिलेगा बेनेफिट

,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।'' हा गया है कि अगर यह राहत केवल ो दी जाती, जिन्होंने कोविड-19 के कारण रिजर्व बैंक द्वारा कर्ज को लेकर दी गयी मोहलत का लाभ तो सरकारी खजाने पर बोझ आधा ही सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों नवंबर तक पात्र कर्जदारों के खाते में लने को को कहा है। यह राशि छूट छह महीने के दौरान संचयी ब्याज ाधारण ब्याज का अंतर के बराबर क्रिसिल के अनुसार अगर 2 करोड़ क कर्ज लेने वाले पात्र कर्जदारों को पर-ब्याज समेत पूरी तरह से ब्याज पर जाती तो सरकारी खजाने पर बोझ ख करोड़ रुपये पड़ता। इससे सरकार -साथ वित्तीय क्षेत्र के लिये वित्तीय र समस्या होती। छूट योजना के दायरे एसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले , शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ, कार्ड, वाहन, व्यक्तिगत कर्ज, पेशेवर पभोग ऋण को शामिल किया गया है।

5 नवंबर तक लागू हो ब्याज माफी

मुंबई/एजेंसी। आरबीआई ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा। सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था। रिजर्व बैंक ने अधिसूचना में कहा, ''सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।'' वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों को कहा है कि वे योजना के प्रावधानों से निर्देशित हों और सभी पात्र खाताधारकों को 6 महीने की तय अवधि के लिये चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करें।

आयकर विभाग ने देश में 42 स्थानों पर मारे छापे, 2.3 करोड़ नकद बरामद

नई दिल्ली/एजेंसी

आयकर विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 स्थानों पर तलाशी के दौरान 2.3 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और 2.8 करोड़ रुपये के गहने जब्त किए हैं। विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कई टीमों ने सोमवार को फर्जी बिलिंग के जरिए बड़ी संख्या में नकदी का प्रवेश संचालन और उत्पादन करने का रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के एक बड़े नेटवर्क को खोजा और जब्ती की कार्रवाई की। इसके लिए विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 परिसरों में तलाशी ली।

इसमें कहा गया, तलाशी में एंट्री ऑपरेटरों, बिचौलियों, नकदी संचालकों, लाभार्थियों, फर्मों और कंपनियों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने वाले सबूत जब्त किये। वहीं 500 करोड़ रुपये से अधिक की आवास प्रविष्टियों के सबूत के दस्तावेज पहले ही जब्त किये जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि कई शेल कंपनियों या फर्मों द्वारा उपयोग किए गए फर्जी बिलों और जारी किए गए असुरक्षित बिलों के बदले में बेहिसाब फंड और नकद धन निकाला गया। इसमें आगे कहा गया, खोजे गए व्यक्तियों के पास कई बैंक खाते और लॉकर थे। ये उनके परिवार के सदस्यों और विश्वसनीय कर्मचारियों और शेल कंपनियों के नाम से खोले गए, जो वे डिजिटल मीडिया के जरिए बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से काम चल रहे थे। अब इनकी भी जांच की जा रही है।

यह भी कहा गया है कि बड़े शहरों में लाभार्थियों ने अचल संपत्तियों में भारी निवेश किया और फिक्सड डिपॉजिट में कई सौ करोड़ रुपये जमा किए। उन्होंने कहा, तलाशी के दौरान 17 बैंक लॉकरों में 2.37 करोड़ रुपये की नकदी और 2.89 करोड़ रुपये के आभूषण मिले हैं।

लू वित्त वर्ष में वृद्धि दर में गिरावट शून्य के करीब रहेगी : सीतारमण

नयी दिल्ली/एजेंसी

त्री निर्मला सीतारमण ने र को कहा कि अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत दिखने लगे ांकि, इसके साथ ही उन्होंने क चालू वित्त वर्ष में सकल त्पाद (जीडीपी) की वृद्धि गिरावट होगी या फिर शून्य ब रहेगी।

न्होंने कहा कि 2020-21 ली तिमाही में अर्थव्यवस्था .9 प्रतिशत की जबर्दस्त आई है, जिससे पूरे वित्त दौरान जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक या शून्य के करीब रहेगी। सेरा वीक के भारत ऊर्जा मंच को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से 25 मार्च से सख्त 'लॉकडाउन' लगाया था क्योंकि लोगों के जीवन को बचाना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ही हम महामारी से निपटने के लिए तैयारियां कर सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को खोले जाने के साथ वृहद आर्थिक संकेतकों में सुधार दिखाई दे रहा है। सीतारमण ने कहा कि त्योहारी सौजन से अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ''इससे चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की उम्मीद है।''

उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक या शून्य के करीब रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से वृद्धि दर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सार्वजनिक खर्च के जरिये आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर है।

बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06, फोन : 9214018855
E. : baidfinance@baidgroup.in • W. : www.balfc.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 9 नवम्बर, 2020 को सायं 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बैद हाउस, द्वितीय तल, 1, तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 (राजस्थान) में आयोजित की जा रही है जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ उसी तारीख के रूप में सम्पत्तियों एवं दायित्वों के स्टेटमेन्ट एवं रोकड़ प्रवाह पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.balfc.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
सीएस, नम्रता सजनानी
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) (M. No. F-10030)

दिनांक : 27 अक्टूबर, 2020
स्थान : जयपुर

सार्वजनिक सूचना कार्यालय नगर निगम, जयपुर(हैरिटेज)

क्रमांक.: एफ-6( ) उपा. राज.II(सा.प्र.)/न.नि.ज/2020/1807 दि.27.10.20

मूल भू. संख्या 301, आदर्श नगर, जयपुर का दी पंजाबी को- ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारा श्री किशन चन्द के नाम से आवंटन कर नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा क्षेत्रफल 491.36 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, नोटेरी प्रमाणित वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर मूल भू.सं. 301, आदर्श नगर, जयपुर क्षेत्रफल 491.36 वर्गगज में से क्षेत्रफल 270.75 वर्गगज का नगर निगम, जयपुर द्वारा श्री रविन्द्र कुमार बब्बर पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल बब्बर के पक्ष में उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होतो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय, हैरिटेज) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

म.सलीम खॉन, उपायुक्त(राजस्व-द्वितीय) नगर निगम जयपुर, हैरिटेज